राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः– 12897 दिनांकः– 7/6/22

::संशोधित सूचना::

इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2022 के तहत् जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालय, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए थे और उसकी अंतिम दिनांक 04.06.2022 निर्धारित की गई थी।

प्राप्त आवेदनों के अवलोकन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश तालुका विधिक सेवा समितियों पर अधिवक्ताओं के पैनल गठन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही अधिकांश जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में महिलाओं/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./दिव्यांग वर्गों के आवेदन भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुए हैं।

सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में पैनल अधिवक्तागण का चयन किए जाते समय सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो पाये तथा निर्धारित संख्या में बेहतर विकल्प के साथ पैनल अधिवक्तागण का चयन हो सके, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए निर्देशानुसार, विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2022 के बिन्दु संख्या 05 में शिथिलता देते हुए निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है–

आवेदक द्वारा पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो,

परन्तुः

1. 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में **राजीनामे से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों** के निर्णय/आदेश/अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।

2. 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में **जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश** विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।

3. यदि किसी अंतिम निर्णय/आदेश में आवेदक के स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, उस स्थिति में यदि उस पत्रावली के **वकालतनामें पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है कि बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था**, तो उस अंतिम निर्णय/आदेश को भी 05 की संख्या गणना में समाहित माना जायेगा।

4. यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उनके पास निर्णय/अंतिम आदेश की **एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा वे एक से अधिक प्राधिकरण/समिति के समक्ष आवेदन कर रहे हैं** व ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा अन्य प्राधिकरण/समिति के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो उन्हें